

SM

23<sup>10</sup>/<sub>19</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी उपस्थित नहीं। न्यायालय समय में कई बार आवाज लगाये जाने पर भी वकील वादी व वादी उपस्थित नहीं आये। पत्रावली अदम पंखी, अदम राजेशी में खारिज की जाती है। पत्रावली उमल गुमार डोगर काट वरतीब, तलमोल दामिखल दफ्तर से।

SM

सहायक कलेक्टर,  
बीकानेर शहर

